निर्णय बइजलास काना राम (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 16/2026 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2026/134

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री कमलेश यादव पुत्र हरलाल यादव निवासी जुवाड, रवांजना चौड जिला सवाई माधोपुर 322001
2. श्रीमती ममता देवी यादव पत्नी कमलेश यादव निवासी जुवाड, रवांजना चौड जिला सवाई माधोपुर
   अन्य पता– पट्टा नं. 15 बुक नं. 37 गांव जुवाड, रवांजना चौड जिला स0मा0
3. भरतलाल यादव पुत्र हरलाल यादव निवासी जुवाड, रवांजना चौड जिला स0मा0 322001

.........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.03.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री कमलेश यादव पुत्र हरलाल यादव निवासी जुवाड, रवांजना चौड जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा नं. 15 बुक नं. 37 गांव जुवाड, रवांजना चौड ग्राम पंचायत मुई जिला स0मा0 जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में कन्हैया का खातेदारी खेत, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में कन्हैया का खातेदारी खेत व दक्षिण में स्वयं की जमीन है, जिसका क्षेत्रफल 124.44 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 4,40,000/–(चार लाख चालीस हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.08.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 02.11.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद तामिल नोटिस अप्रार्थीगण नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 14.08.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 02.11.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. 15 बुक नं. 37 गांव जुवाड, रवांजना चौड ग्राम पंचायत मुई जिला स0मा0 जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में कन्हैया का खातेदारी खेत, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में कन्हैया का खातेदारी खेत व दक्षिण में स्वयं की जमीन है, जिसका क्षेत्रफल 124.44 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13.5.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner